अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2 - DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	6800,00,00	6992,03,00	6989,91,52	-2,11,48
पूरक	Supplementary	192,03,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415"	Major Head "2415"				
कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Agricultural Research and Education				
मू.	O.	646955.00			
पू.	S.	19201.00	698464.00	698316.94	-147.06
पु.	R.	32308.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	32300.00			
पू.	S.	2.00	1.00	..	- 1.00
पु.	R.	-32301.00			

(I) ₹32317.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹32202.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए–

(का) "फसल कृषिकर्म – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" –

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹170.00 लाख;

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹484.00 लाख;

(ग) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹1240.00 लाख;

(घ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹3000.00 लाख;

(ङ) "कृषि इंजीनियरी शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹171.00 लाख;

(च) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" – ₹10700.00 लाख;

(खा) "मृदा और जल संरक्षण – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" –

(क) "कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹2700.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "जलवायु अनुकूल कृषि पहल" – ₹700.00 लाख;

(I) Provision of ₹32317.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2017 and March, 2018) remained wholly unutilized under twelve heads; of these ₹32202.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry -Assistance to I.C.A.R."-

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹170.00 lakhs;

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹484.00 lakhs;

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes"- ₹1240.00 lakhs;

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes"- ₹3000.00 lakhs;

(e) "Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes"- ₹171.00 lakhs.

(f) "I.C.A.R. Headquarter Administration"- ₹10700.00 lakhs;

(B) "Soil and Water Conservation -Assistance to I.C.A.R." -

(a) "Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes" - ₹2700.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh);

(b) "Climate Resilient Agriculture Initiative" - ₹700.00 lakhs;

(गा) “पशु पालन – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें” – ₹1035.50 लाख (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(C) “Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes” - ₹1035.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh); and

(घा) “सामान्य (कृषि अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें) – केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान ” – ₹12001.00 लाख। (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

(D) “General (Agricultural Research and Education Schemes) - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal” - ₹12001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षो को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above ten heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष “2415“” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head “2415” - savings occurred under the following heads:-

(का) “फसल कृषिकर्म” – “भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि में मूलभूत, सामरिक और सीमावर्ती अनुप्रयोग अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय निधि” – ₹1225.00 लाख की बचत (₹4880.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलंब के कारण परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई थी ।

(A) “Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture” - saving of ₹1225.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4880.00 lakhs) was due to non-finalization of project owing to procedural delay.

(खा) “सामान्य – अन्य संस्थाओं को सहायता” – “केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड को सहायता अनुदान” – ₹607.50 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई ।

(B) “General - Assistance to Other Institutions - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Bundelkhand” - saving of ₹607.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹132.43 लाख की बचतें हुईं जो, प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 30 प्रतिशत थीं।

(III) Under two heads savings of ₹132.43 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 13 percent and 30 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹31314.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष “2415” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹19202.00 लाख का सांकेतिक अनुदान प्राप्त करते

2.(I) The above savings were partly (₹31314.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹19202.00 lakhs in July 2017, December, 2017 and March, 2018 under

समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

(का) "फसल कृषिकर्म — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" —

(क) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹1274.00 लाख।

(ख) "बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹411.00 लाख।

(ग) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन" — ₹10652.20 लाख।

(घ) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹635.00 लाख।

(ङ) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹1846.00 लाख।

(च) "राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना" — ₹499.80 लाख।

(खा) "मृदा और जल संरक्षण — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता" — "कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹2458.00 लाख ।

(गा) "पशु पालन — भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता — डेयरी अनुसंधान संस्थानों एवं स्कीमों सहित पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" — ₹938.00 लाख।

(घा) "सामान्य — अन्य संस्थाओं को सहायता" —

(क) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान" — ₹12000.00 लाख

(ख) "केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता

Major Head "2415" - under the following heads :-

(A) "Crop Husbandry - Assistance to I.C.A.R" -

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1274.00 lakhs.

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - ₹411.00 lakhs.

(c) "I.C.A.R. Headquarter Administration" - ₹10652.20 lakhs.

(d) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - ₹635.00 lakhs.

(e) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - ₹1846.00 lakhs.

(f) "National Agricultural Higher Education Project" - ₹499.80 lakhs.

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R. - Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-Forestry Research and Education Schemes" - ₹2458.00 lakhs.

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes" - ₹938.00 lakhs.

(D) "General - Assistance to Other Institutions"-

(a) "Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" - ₹12000.00 lakhs.

(b) "Grants-in-Aid to Central Agricultural

अनुदान" – ₹600.00 लाख ।

(II) बचतें, मुख्य शीर्ष "2415" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) "फसल कृषिकर्म" –

(क) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता – कृषि इंजीनियरी संस्थान, अनुसंधान तथा शिक्षा स्कीमें" – ₹171.00 लाख का अधिक व्यय (₹4097.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को करने के कारण हुआ था ।

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना" –

(i) "फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹121.00 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹605.00 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें" – ₹654.00 लाख का अधिक व्यय (₹2700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "मृदा तथा जल संरक्षण" –

(क) "जनजातीय क्षेत्र उपयोजना – कृषि–वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा

University, Bihar" - ₹600.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2415" - under the following heads: -

(A) "Crop Husbandry" -

(a) "Assistance to I.C.A.R. - Agricultural Engineering Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹171.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4097.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹121.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(ii) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹605.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs);

(iii) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" - excess of ₹654.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2700.00 lakhs); and

(B) "Soil and Water Conservation" -

(a) "Tribal Area Sub-Plan - Natural Resource Management Institutes, Research and Education Schemes including Agro-

स्कीमें" – ₹242.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों के चिह्नांकन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार वर्धित आवंटन को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ था ।

(ख) "भारतीय कृषि अनुसंधान को सहायता – जलवायु अनुकूल कृषि पहल" – ₹700.00 लाख का अधिक व्यय (₹4300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹241.05 लाख का अधिक व्यय हुआ जो, प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत से 284 प्रतिशत था।

Forestry Research and Education Schemes" - excess of ₹242.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to requirement of additional funds to meet enhanced allocation as per the guidelines issued by the Ministry of Finance for earmarking of funds.

(b) "Assistance to I.C.A.R. - Climate Resilient Agriculture Initiative" - excess of ₹700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4300.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(III) Under three heads excess of ₹241.05 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 24 percent to 284 percent of the sanctioned provision.